न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2023
उनवान

. वेदप्रकाश खेदड पुत्र कानाराम खेदड उम्र 40 वर्ष जाति जाट, निवासी हनुतपुरा तह. शाहुपरा जिला जयपुर

प्राथी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
2. नायब तहसीलदार, उपतहसील अमरसर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश दिनांक 18/7/2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 841/1196 रकबा 0.18 है0, वाके ग्राम हनुतपुरा, पटवार हल्का हनुतपुरा, भू.अ.नि. अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है ।

यह कि उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि के साबिक ख0न0 403 मि0 व 404 मि0 है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में साबिक जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में ख0न0 403 एक बीघा आबादी में दर्ज है तथा साबिक ख0न0 404 रास्ते में दर्ज है तथा सेटलमेंट की खतौनी जमाबंदी में साबिक ख0न0 403 व 404 के नये खसरे नंबर 841/1196 रकबा 0.18 है0 को संहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण रास्ता अंकित कर दिया जबकि उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर वर्तमान में मौके पर आबादी भूमि स्थित है तथा साबिक ख0न0 403 का संपूर्ण रकबा साबिक नक्शे में आबादी अंकित है तथा साबिक ख0न0 404 सम्पूर्ण साबिक नक्शे में रास्ता अंकित है जिसे वर्तमान नक्शे में हाल खसरा नंबर 541 जो वर्तमान आबादी मे अंकित है जिसमें साबिक ख0न0 404 रास्ते को हाल ख0न0 541 में मिलाकर आबादी में अंकित कर दिया है तथा हाल ख0न0 840 व 841/1196 जो साबिक नक्शे में आबादी दर्ज है तथा वर्तमान नक्शे में रास्ता अंकित कर दिया है हाल ख0न0 841/1196 रकबा 0.18 है0 जिस पर प्रार्थी ने लगभग 0.12 है0 भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से मिट्टी के कच्चे घर बनाकर निवास कर रहे थे तथा वर्तमान में चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्री बनाकर अपने रिहायशी मकान व पशुओ के लिये आवास आदि बनाकर निवास कर रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि में मोके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है तथा रास्ते के अलग नंबर है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि को सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा संहवन से साबिक नक्शे व साबिक रिकार्ड में आबादी भूमि को रास्ते में दर्ज कर दिया जो दुरूस्तीनय है जिसको दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

यह कि प्रार्थी ने आज से सप्ताह भर पूर्व उक्त भूमि पर अपना पट्टा बनवाने के लिये ग्राम पंचायत हनुतपुरा में आवेदन पत्र पेश किया तब पटवारी हलका ने उक्त भूमि का निरीक्षण किया तब प्रार्थी को पता लगा कि जहां पर प्रार्थी अपना आवास बनाकर निवास कर रहा है वह भूमि आबादी भूमि की बजाय रास्ते में अंकित हो गई उसके बाद प्रार्थी ने उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड निकलवाया तथा राजस्व रिकार्ड निकलवाने के बाद अप्रार्थीगण को उक्त भूमि को आबादी में दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थीगण ने न्यायालय से रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये कहा इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

र्थी की उक्त आवासीय भूमि साबिक नक्शे व राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज थी तथा राजस्व र्मचारियो की गलती से संवहन से त्रुटीवस उक्त भूमि आबादी भूमि के बजाय रास्ता में अंकित हो ई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

न्त में निवेदन किया गया कि साबिक ख.न. 403 के हाल खाता सं0 01, ख0न0 841/1196 रकबा 18 है0 , 840 रकबा 0.03 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा, पटवार हल्का हनुतपुरा, भू.अ.नि. अमरसर, हसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि के साबिक नक्शे व राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान क्शे व राजस्व रिकार्ड में रास्ता की बजाय आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा ाबिक ख0न0 404 को साबिक नक्शे व राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान नक्शे व राजस्व रिकार्ड रास्ता अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया या । अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु न्यायालय से निर्देशित किये जाने पर राजकीय रोकार ने अपनी जांच रिपोर्ट 19.6.2023 पेश की जिसमें जाहिर किया कि ग्राम हनुतपुरा के हॉल ख0नं0 841/1196 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0रास्ता व आ0ख0नं0 840 रकबा 0.03 है0 किस्म ै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । ख0नं0 841/1196 व 840 नकल मिलान क्षैत्रफल के ाबिक ख0नं0 403 मि0 404 मि0 से बने है। साबिक जमाबन्दी सं0 2035–2038 में ख0नं0 403 की किस्म आबादी रकबा 1 बीघा एवं ख0नं0 404 की किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 11 बिस्वा दर्ज है। ख0नं 41/1196 में मौके पर मकान, पशुबाडा पुख्ता बाउण्ड्री आदि बनाकर लोग निवास कर रहे है। ख0नं0 840 व 841/1196 में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने व आबादी बसावट होने के कारण व वर्तमान मं मौके पर चालू रास्ता ख0नं0 541 किस्म गै0मु0 आबादी में से होने के कारण उक्त ख0नं0 841/1196 व 840 की किस्म आबादी में किया जाना उचित होना बताया है। साबिक ख0नं0 404 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0रास्ता से हॉल ख0नं0 541 रकबा 5.80 है0 किस्म ै0मु0आबादी एवं हॉल ख0नं0 841/1196 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता बने है। मिलान ैत्रफल में साबिक ख0नं0 404 व 403 का रकबा हॉल ख0नं0 541 व 841/1196 दोनों में शामिल ोने के कारण ख0नं0 404 का कितना कितना रकबा उक्त दोनों हॉल खसरा नम्बरान में मिलाया या है। अन्त में राजकीय पैरोकार ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि साबिक नकल नक्शा एवं ाल नक्शा शीट को उपर नीचे रखकर साबिक व हाल खसरा नम्बर का मिलान करने पर साबिक ख0नं0 404 हाल नक्शा शीट के ख0नं0 541 किस्म गै0मु0आबादी की सीमा में आती है अर्थात साबिक ख0नं0 404 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता का सम्पूर्ण रकबा/क्षेत्र हाल ख0नं0 541 केस्म गै0मु0आबादी में आना जाहिर होता है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुए ध्यान आकर्षित करवाया कि साबिक ख0नं0 403 व 404 से ख0नं0 341/1196 व 840 कायम किये गये है। साबिक ख0नं0 403 कि किस्म गै0मु0आबादी दर्ज रही है लेकिन हॉल रिकार्ड में कायम नये ख0नं0 841/1196 रकबा 0.18 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं मौके पर आबादी बसावट है तथा कायम रास्ता ख0नं0 541 में गया है जिसको दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया । राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तो सही है लेकिन ख0नं0 403, 404 का कितना कितना रकबा ख0नं0 541 व 841/1196 में मिलाया गया है साथ ही यह भी जाहिर किया साबिक नक्शा शीट व वर्तमान नक्शा शीट का सुपर कम्पोज करने पर साबिक रिकार्ड में दर्ज रास्ता 404 वर्तमान ख0नं0 541 में आना जाहिर होता है।

वकील प्रार्थी/राजकीय पैरोकार की बहस तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया जाना सिद्व होता है कि साबिक ख0नं0 403 व 404 का कुछ रकबा ख0नं0 541 में तथा कुछ रकबा 841/1196 में गया है। साबिक ख0नं0 403 रकबा 1 बीघा आबादी दर्ज रही है। ख0नं0 404 रकबा 11 बिस्वा गै0मु0 रास्ता रिकार्ड में दर्ज रहा है तथा वर्तमान नक्शा सीट को साबिक ख0नं0 404 की नक्शा सीट पर रखकर सुपर कम्पोज करने पर ख0नं0 404 का रास्ता ख0नं0 541 में होना समाहित होना साबित होता है, अर्थात ख0नं0 404 का रकबा 1 बीघा ख0नं0

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

541 आबादी में दर्ज हो गया जबकि उक्त साबिक ख0नं0 404 गै0मु0रास्ता था तथा ख0नं0 403 रकबा 1 बीघा आबादी थी को हॉल कायम ख0नं0 841/1196 सहवन से गै0मु0रास्ता दर्ज करना सिद्व होता है। पत्रावली में मौजूद दस्तावेजात आदि के अवलोकन से भी यही जाहिर होता है तथा ग्राम पंचायत हनुतपुरा के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर जाहिर किया है कि ख0नं0 541 में मौके पर चालू रास्ता है जिसका किसी को कोई पट्टा आदि जारी नहीं किया गया है मौके के अनुसार साबिक रिकार्ड के मुताबिक ख0नं0 541 में मौके पर चालू रास्ते को आबादी से हटाकर रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मौके पर भी ख0नं0 541 में राजकीय पैरोकार ने

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील व राजकीय पैरोकार की बहस पर मनन किया । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी ख0नं0 841/1196 जो कि रकबा 0.18 है0 गै0मु0रास्ता दर्ज है साबिक रिकार्ड में उक्त आराजी ख0नं0 403 आबादी दर्ज थी लेकिन सहवन से साबिक ख0नं0 403 से हॉल कायम किये गये ख0नं0 541 तो आबादी दर्ज कर दी गई लेकिन 403 से ही कायम किये गये ख0नं0 841/1196 को गै0मु0रास्ता दर्ज करना सिद्व होता है जबकि साबिक ख0नं0 404 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0रास्ता था वह वर्तमान नक्शे को साबिक नक्शे से सुपर इम्पोज करने पर 404 की भूमि हॉल कायम ख0नं 541 में समाहित होना सिद्व होती है । अर्थात साबिक ख0नं0 404 रास्ते की भूमि को आबादी में तथा साबिक खं0न0 403 आबादी की भूमि को रास्ते में दर्ज होना साबित होती है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0नं0 841/1196 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता के बजाय गै0मु0आबादी दर्ज करने तथा ख0नं0 541 रकबा 5.86 है0 किस्म गै0मु0 आबादी में से 0.18 है0 भूमि साबिक राजस्व रिकार्ड व नक्शे के अनुसार गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 18/7/2023 को सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर